न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/40)

अर्जुनलाल पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 23.09.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व) चूरू ने अपने निर्णय दिनाक 18.03.2019 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सोमासी खसरा नं. 201/129 गैर मुमकिन शमशान की 1050 वर्गफुट भूमि का भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर मौके पर किये गये निर्माण को ध्वस्त कर उक्त भूमि को कब्जे राज में लिये जाने व अतिचारी के उक्त कृत्य के विरूद्व लगान का 50 गुणा तावान रूपये 1=00 आरोपित करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2021 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार चूरू का निर्णय दिनाक 18.03.2019 को यथावत रख दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट का मकान पिछले 100 वर्षो से पूर्वजो के समय से चूना व पत्थर से बनाये हुए थे। तहसीलदार चूरू ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये और बिना साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये अपीलान्ट की गैर हाजरी मे निर्णय पारित किया, जिसका प्रथम अपील कोर्ट ने भी बिना कोई ध्यान दिये बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किये निर्णय पारित कर दिया जहा अपीलान्ट का मकान बना है वह आबादी भूमि है और उसके खसरा नं. 200/129 है उसके चिपते ही खसरा नं. 201/129 है जो शमसान भूमि रिकार्ड में अंकित है, वहा पर किसी तरह से शमसान भूमि खाली नही है बल्कि आबादी बसी हुई है। अपीलान्ट का यही कहना है कि पटवारी ने जो रिपोर्ट की है वह द्वेषपूर्ण है। अपीलान्ट का मकान जर्जर अवस्था में होने से पुनः निर्माण किया गया है। मौके की जांच की जानी आवश्यक है। शमसान का खसरा नं. 201/129 है अपीलान्ट का मकान 200/129 मे है। शमसान का कार्य भी अन्यत्र इस भूमि के बदले गांव वालो द्वारा खरीद की हुई भूमि पर हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला तहसीलदार को सुनवाई हेतु पुनः रिमाण्ड किया जाना चाहिये था ताकि उक्त तथ्यो की सही रिपोर्ट आ सके। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील को स्वीकार कर तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनाक 18.03.2019 एवं जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 14.10.2021 दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया जावे तथा अपीलान्ट के हक में निर्देश जारी किये जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 30.12.2021 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 23.12.2021 को हल्का पटवारी मौके पर आया और जानकारी देने पर हुई। प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब या शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है अतः धारा 5 प्रार्थना पत्र एव शपथ पत्र में दिये गये कारणो पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 18.03.2019 के द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को ग्राम सोमासी का खसरा नं. 201/129 का अतिक्रमी मानते हुए निर्माण को ध्वस्त कर उक्त भूमि कब्जे राज मे लिये जाने के आदेश पारित किये गये है, उक्त आदेश कि विरूद्व जिला कलक्टर चूरू के संमक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में निर्णय दिनांक 14.10.2021 के द्वारा तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 18.03.2019 को यथावत रखा गया है। तहसीलदार चूरू की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने दिनांक 05.03.2019 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारा मकान गांव सोमासी की आबादी भूमि पर है और आबादी भूमि पर हमारा कब्जा पिछले 100 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। और जो शमशान भूमि है उस पर अन्य लोगो ने कब्जा कर रखा है। हमारा किसी सरकारी भूमि जो शमशान भूमि पर कब्जा नही है। पटवारी ने गलत तथ्य पेश किये है। तीन चार सदस्यो की संयुक्त टीम भेजी जावे और शमशान भूमि की पुनः सीमाचिन्ह या पत्थर गढी करवाई जावे। तहसीलदार चूरू की पत्रावली की ओडर शीट दिनांक 14.03.2019 मे भी अर्जुनलाल का दिनांक 05.03.19 जवाब नोटिस पेश किया अंकित है जिसे शामिल कर पत्रावली निर्णय दिनांक 18.03.19 को रख दिया। तहसीलदार चूरू

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा अपीलान्ट अर्जुनलाल के जवाब पर कोई गौर किये बिना सीधे अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर निर्माण को ध्वस्त कर उक्त भूमि को कब्जे राज में लिये जाने के आदेश दिये। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 201/129 पर अतिक्रमण है, जबकि अपीलान्ट का खसरा नं. 200/129 है । इस बिन्दु का निस्तारण मौके की पैमाईश से ही सम्भव हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपने जबाव में कथन किया है परन्तु मातहत अदालत ने पैमाईश या सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही नही की है। तहसीलदार के निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2021 द्वारा अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय में किये गये कथनो पर कोई टिप्पणी किये बिना अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार चूरू का निर्णय दिनाक 18.03.2019 को यथावत रख दिया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 14.10.2021 एव तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में अतिक्रमी भूमि की पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान कर पुनः निर्णय पारित करे।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर